रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244821 CG-DL-E-31032023-244821

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1496] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945 No. 1496] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

# (वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1551(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1964 का नियम -3 के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा-3 में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार की दिनांक 9 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या.का.आ. 1119(अ) में एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	
(1)	(2)	
1.	श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस (एम.एन.:94)	अध्यक्ष
	अपर सचिव,	
	वाणिज्य विभाग,	

2175 GI/2023 (1)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,	
नई दिल्ली	

[फा. सं. के-16012/45/2017-निर्यात निरीक्षण]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 9 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या.का.आ. 1119(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

#### (Department of Commerce)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

**S.O. 1551(E).**—In exercise of the powers under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Department of Commerce) number S.O. 1119(E) dated the 9<sup>th</sup> March, 2023 namely: -

In the said Notification, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely; -

Serial	Name and Designation	
Number		
(1)	(2)	
1.	Shri Rajesh Agrawal, IAS (MN:94)	Chairman
	Additional Secretary	
	Department of Commerce,	
	Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	

[F. No. K-16012 /45/2017-Export Inspection]

M. BALAJI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide notification number 1119(E) dated the 9th March, 2023